संख्या-119/2015/3935/26-3-2015-246 सी0एम0/2015

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण/जनजाति विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23 अक्टूबर, 2015

विषयः- प्रदेश में समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित/निर्माणाधीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को नवोदय विद्यालय के पैर्टन पर विकसित करने के दृष्टिगत प्रशासकीय ढ़ांचा का पुर्नगठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-594/स0क0/1-2015/विकास(312)/मु.म.घो./नवो0 पैटर्न/अ0प0वि0/2015-16,दिनांक-03-08-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल प्रदेश में संचालित/निर्माणाधीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को नवोदय विद्यालय के पैर्टन पर विकसित करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश प्रदान करते हैं-

2- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के सुचारू रूप से संचालन हेतु पुर्नगठन के फलस्वरूप नवीन प्रशासनिक व्यवस्था निम्नवत् होगीः-

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान में स्वीकृत पदों की सख्ंया	वेतनमान/ ग्रेड वेतन	माध्यम	नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत स्वीकृत पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रधानाचार्य	1	15600-39100(7600)	पदोन्नति/सीधी भर्ती	01	पूर्ववत
2	अधीक्षक	1	9300-34800(4200)	पदोन्नति/सीधी भर्ती	0	यह संवर्ग मृत संवर्ग होगा तथा भविष्य में संवर्ग मे किसी भी कारण से पद रिक्त होने पर पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
3	प्रवक्ता	5	9300-34800(4800)	पदोन्नति/सीधी भर्ती	10	1-(हिन्दी, 2-अंग्रेजी,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

						3-गणित, 4-भौतिक विज्ञान, 5-रसायनविज्ञान, 6-जीव विज्ञान, 7-कम्प्यूटर उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों में से कोई 03 विषयः- अर्थशास्त्र, भूगोल, वाणिज्य, नागरिक शास्त्र, गृहविज्ञान (बालिकाओं हेतु)
4	सहायक अध्यापक एल0टी0ग्रेड	5	9300-34800(4600)	पदोन्नति/सीधी भर्ती	10	हिन्दी, अंग्रेजी-2, गणित-2 विज्ञान-2, सामाजिक विज्ञान कला, संगीत, व्यायाम प्रशिक्षक, कम्प्यूटर प्रशिक्षक
5	सहायक अध्यापक (प्राथमिक)	5	9300-34800(4200)	सीधी भर्ती	0	प्राथमिक के 5 पदों को एल0टी.ग्रेड में उच्चीकृत।
6	फार्माशिष्ट /नर्स	1	5200-20200(2800)	सीधी भर्ती	01	पूर्ववत
7	वरिष्ठ सहायक	1	5200-20200(2800)	पदोन्नति	01	पूर्ववत
8	लाइब्रेरियन	0	5200-20200(2800)	सीधी भर्ती	01	नवीन पद
9	कनिष्ठ सहायक	1	5200-20200(2000)	सीधी भर्ती	01	पूर्ववत
10	कनिष्ठ सहायक/ स्टोर कीपर	1	5200-20200(2000)	सीधी भर्ती	01	पूर्ववत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11	छात्रावास	1	5200-20200(2000)	सीधी भर्ती	01	गृहमाता का परिवर्तित पदनाम दायित्वपूर्वक
12	कम्प्यूटर आपरेटर	0	12000/- मानदेय	सेवाप्रदाता	01	
13	समूह (घ)					
क	कहार/मेस हैल्पर	2	5200-20200(1800)	सीधी भर्ती	02	पूर्ववत
ख	चौकीदार कम स्वीपर	2	5200-20200(1800)	सीधी भर्ती	02	पूर्ववत
ग	पत्रवाहक/माली आदि	3	5200-20200(1800)	सीधी भर्ती	02	पूर्ववत
घ	भोजन/सफाई/सुरक्षा के कार्य हेतु चतुर्थ श्रेणी	15	श्रम संविदा के आधार पर मानदेय	सेवाप्रदाता	15	पूर्ववत
ङ	इलैक्ट्रीशियन/प्लम्बर	1	3000/- मानदेय	सेवाप्रदाता	01	पूर्ववत
14	चिकित्सक (मानदेय पर)	1	6000/- मानदेय	विद्यालय के समीपस्थ सरकारी चिकित्सालय से	01	पूर्ववत

3- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु वर्तमान व्यवस्था का पुनर्गठन करते हुये निदेशालय स्तर पर निम्नलिखित अस्थायी पदों को दिनांक-29.02.2016 तक या इसके पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, तक के लिये उनके सम्मुख विवरणानुसार सृजित किया जाता है:-

क्रसं	पदों का विवरण	संख्या	वेतनमान/ग्रेड वेतन	माध्यम
1	अपर निदेशक	01	37400-67000(8700)	पदोन्नति
2	संयुक्त निदेशक	01	15600-39100 (7600)	पदोन्नति
3	उप निदेशक	01	15600-39100 (6600)	पदोन्नति
4	प्रशासनिक अधिकारी	01	9300-34800 (4600)	पदोन्नति
5	प्रधान सहायक	03	9300-34800(4200)	पदोन्नति
6	सहायक लेखाकार	02	5200-20200(2800)	सीधी भर्ती
7	कनिष्ठ सहायक	05	5200-20200(2000)	सीधी भर्ती
8	आशुलिपिक/कम्प्यूटर आपरेटर	03	15000/- प्रतिमाह नियत	सेवा प्रदाता
9	चतुर्थ श्रेणी	03	8000/- प्रतिमाह नियत	सेवा प्रदाता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उपरोक्त पद/संवर्ग के सम्बन्ध मे सेवा नियमावली का संशोधन/प्रख्यापन यथावश्यक/यथाशीघ्र किया जायेगा।

5- विद्यालयों में निर्धारित विषयों में यदि किसी परिवर्तन की आवश्यकता होगी तो जिलाधिकारी की अध्यक्षता की समिति के प्रस्ताव पर निदेशालय स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 के अशासकीय संख्या-1367/2015/दस दिनांक-20.10.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

पृसं0-119/2015/3935 (1)/26-3-2015 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- समस्त उपनिदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ
5- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण,उ0प्र0 लखनऊ।
6- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- समाज कल्याण अनुभाग-2/3
10- गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।